

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर नीमराना(कोटपूतली-बहरोड)  
पीठारीन अधिकारी :- महेंद्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या-31/22

तारीख रजु-21.07.2022

निर्णय दिनांक-7-7-25

उपनाम

1. कृष्ण पुत्र बाबूलाल
2. कमला पत्नी बाबूलाल
3. धर्मवीर पुत्र औमप्रकाश
4. पूनम कुमारी पुत्री चेताराम
5. बनारसी पत्नी औमप्रकाश
6. बबली पुत्री औमप्रकाश
7. मुनेश पुत्री औमप्रकाश
8. राजबाला पत्नी चेताराम
9. राजबाला पुत्री औमप्रकाश
10. राहुल पुत्र चेताराम
11. विजयपाल पुत्र बाबूलाल
12. विनोद कुमार पुत्र औमप्रकाश
13. विरेन्द्र पुत्र औमप्रकाश
14. सुमन पुत्री बाबूलाल
15. सुशीला पुत्री औमप्रकाश
16. हरीश पुत्र चेताराम
17. अनीता पुत्री राजकुमार
18. अमरसिंह पुत्र उमराव
19. कमल पुत्र प्रभात
20. कमला पुत्री प्रभू
21. बलवन्त पुत्र प्रभू
22. बिमला पुत्री उमराव
23. मनभावती पत्नी राजकुमार
24. रामनिवास पुत्र प्रभू
25. वेदप्रकाश पुत्र राजकुमार
26. शिवताज पुत्र उमराव
27. सतीश पुत्र राजकुमार
28. सुभाष पुत्र राजकुमार
29. सुरेश पुत्र प्रभू सभी जातियान अहीर सभी निवासीयान डूमरौली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड राज0।

.....प्रार्थीगण

बनाम


1. श्रीमान तहसीलदार साहब नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र- अंतर्गत धारा 111.128 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति:

1. श्री प्रमोद कुमार यादव एडवोकेट-प्रार्थी
3. पैरोकार सरकार-अप्रार्थी

  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

—:निर्णय:—

दिनांक:- 07-7-25

आज यह पत्रावली "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्तयोदय सम्बल पखवाडा" के अन्तर्गत कैम्प अटल सेवा केन्द्र डूमरौली पर पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर हाल 1058,1059,1060,1061 है0 वाके ग्राम डूमरौली तह0 नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड में स्थित है। जो हम प्रार्थीगण की खातेदारी काश्त की आराजी दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 22.05.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा की गई तथा पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 22.05.2022 के मुताबिक आराजी मुतनाजा की पुख्ता पत्थरगढी नहीं की गई है तथा तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश लेकर आने पर पत्थरगढी की जा सकेगी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाद तामिल न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा पत्रावली जवाब सरकार पेश हुआ। पत्रावली शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।


पत्रावली में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को रिपीट करते हुए आराजी मुतनाजा की पुख्ता पत्थरगढी सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर किया जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 22.05.2022 का अवलोकन किया गया। सीमाज्ञान पैमाईश तहसीलदार नीमराना के आदेश से पटवारी हल्का द्वारा हाल रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शा के मुताबिक किया गया है तथा पटवारी हल्का द्वारा की गई सीमाज्ञान पैमाईश के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति न्यायालय में पेश नहीं की गई है। इसलिए न्याय हित में सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 22.05.2022 के मुताबिक प्रार्थीगण के खसरा नम्बर हाल 1058,1059,1060,1061 है0 वाके ग्राम डूमरौली तह0 नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड पर पुख्ता पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128,111 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर हाल 1058,1059,1060,1061 है0 वाके ग्राम डूमरौली तह0 नीमराना जिला कोटपूतली-बहरोड की सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 22.05.2022 के आधार पर चारों तरफ के खातेदारों की उपस्थिति में पुख्ता पत्थरगढी करे। पैमाईश के मुताबिक पत्थरगढी की एवज में किसी को कब्जा नहीं दिलवाये। तहसीलदार नीमराना को आदेश की पालनार्थ अलग से लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक...7...7...25...को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

  
(महेन्द्रसिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, सीमाज्ञान  
नीमराना तहसील, कोटपूतली-बहरोड (राज0)  
जिला कोटपूतली-बहरोड (राज0)